

A.K. Pandey, Advocate

To,

The Chief Engineer,
Prayagraj Development Authority,
Situate at 7/8th Floor,
Indira Bhwan,
Civil Lines,
Prayagraj

M. I. G. 100/II/ A,
A. D. A. Colony,
Naini,
Prayagraj.

M - 9839933005

Dated- 6th, June -2022

Respected Sir,

Sub : Non-Encumbrance Certificate in respect of Nazul Plot No. 3 A,
area 1731.00 Sq. Meter, Situate at Mohalla-Lukerganj, Pargana &
Tehsil-Sadar, District-Prayagraj.

Respected Sir,

I have inspected the records of Sub-Registrar Sadar, Second,
Prayagraj and Nazul records, Tehsil-Sadar, District-Prayagraj and I
found that property in question is clear and there is no charge on the
property in question. Further, according to Property Register of Nazul
Plot No. 3 A, Lukerganj, Prayagraj, the lease deed was executed by
Collector Allahabad, for 30 years i.e. 03-12-1923 to 02-12-1953 in
favour of Mr. A. M. David . Thereafter, the aforesaid lease was
renewed for further 30 years i.e. 03-12-1953 to 02-12-1983 in favour
of Mejoy Keyo son of Mr. H. C. David. Thereafter, the period of
aforesaid lease was not extended till today i.e. The period of aforesaid
lease was expired. Further, on the expiry of lease period the name

 K. Pandey

was lease holder was deleted in the Govt. records and in place thereof the name was U.P. State Govt. entered in the Nazul records through Collector order dated 30-11-2019.

Now, at present time U.P. State Govt. is recorded owner of the property in question i.e. Plot No. 3 A, Lukerganj, Prayagraj and possession was also taken on 13-09-2020. Copy of Property Register of Nazul issued by Nazul Superintendent, Nagar Nigam, Prayagraj, dated 03-06-2022 is attached for perusal of your records is attached.

Thereafter, The Chief Secretary of Uttar Pradesh of Lucknow transfer / allotted the aforesaid land i.e. Plot No. 3 A, Lukerganj, Prayagraj, area 1731.00 Sq. Meter, in favour of Prayagraj Development Authority on 15-11-2021 on free of cost.

Now presently, The Prayagraj Development Authority is the owner and possession of the property in question, i.e. Plot No. 3 A, Lukerganj, Tehsil-Sadar, District-Prayagraj.

Report is submitted for further necessary action.

- Encl : (i) inspection receipt dated 04-06-2022,
(ii) Non-Encumbrance Certificate
No. 22022019001101, dated 06-06-2022
(iii) Copy of Property Register regarding Property in question.
(iv) Letter dated 08-10-2021 issued by Collector, Prayagraj.
(v) Letter dated 15-11-2021, issued by Secretary of U.P. Govt to D.M. Prayagraj.

Yours Faithfully
(A.K. Pandey)
Advocate

Regd. No. U.P. 3434/1989
A. K. PANDEY
Advocate
100, II, A
A.D.A. Colony Naini

भाग 1

प्रस्तुतकर्ता अथवा प्राप्ति द्वारा रखा जाने वाला

उपनिबन्धक: सदर द्वितीय क्रम संख्या 2022019009777
प्रयागराज

लेख या प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का दिनांक 04/06/2022

प्रस्तुतकर्ता या प्राप्ति का नाम ए के पाण्डेय

लेख का प्रकार: मुआयना

2005 वर्ष से 2022 तक

प्रतिफल की धनराशि 100

1. रजिस्ट्रीकरण शुल्क
2. प्रतिनिधित्व शुल्क
3. निरीक्षण या तलाश शुल्क
4. मुद्दाम के अधिप्रमाणीकरण लिए शुल्क
5. कमीशन शुल्क
6. विविध
7. वार्षिक भत्ता

1 से 6 तक का योग 100

शुल्क समुल करने का दिनांक 04/06/2022

दिनांक जब लेख प्रतिनिधि या तलाश 04/06/2022

प्रमाण पत्र वापस करने के लिए तैयार किया

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

उप निबंधक
प्रयागराज द्वितीय

भाग 1

भाग 1 की प्रतिलिपि पर फिर से रखाया जाने वाला

उपनिबन्धक: सदर द्वितीय क्रम संख्या 2022019009777
प्रयागराज

अधिनियम 16 1908 की धारा 52 के अधीन रसीद

प्रस्तुतकर्ता या प्रतिनिधि या तलाश प्रमाण पत्र के लिए प्राप्ति का नाम
ए के पाण्डेय

2005 वर्ष से 2022 वर्ष तक

निष्पादक का नाम

लेख का प्रकार: मुआयना

प्रतिफल की धनराशि 100

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का दिनांक 04/06/2022

दिनांक जब लेख प्रतिनिधि 04/06/2022

या तलाश प्रमाण पत्र वापस करने के लिए तैयार होगा

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

उप निबंधक
प्रयागराज द्वितीय

भार मुक्त प्रमाण-पत्र
(रजि० मैन्युअल के नियम 328)

श्री- ए० के० पाण्डेय पुत्र- एडवोकेट तहसील प्रयागराज जिला प्रयागराज ने निम्नलिखित सम्पत्ति से सम्बन्धित प्रपत्रों/द्वारा प्रस्तुत भार मुद्रित प्रमाण पत्र हेतु प्राथना पत्र प्रस्तुत किया है।

सम्पत्ति ग्राम/मोहल्ला - लूकरगंज, वार्ड/परगना- लूकरगंज, आवासीय- उत्तर प्रदेश सरकार नजूल भूखण्ड संख्या 3 ए लूकरगंज का तहसील सदर द्वितीय प्रयागराज, क्षेत्रफल 1731 वर्गमीटर चौहद्दी उत्तर 7 मीटर रोड पश्चिम आबादी पूरब आबादी दक्षिण विवरण : भूखण्ड का शेष भाग (3),

मैं एतद्वारा प्रमाणित करता हू कि इंडेक्स सं 02 तथा उससे सम्बन्धित सूची प्रपत्रों की तलाश दिनांक 01/01/2011 से दिनांक 04/06/2022 तक उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में की गयी जिसमें निम्नलिखित भार पाये गये

कोई भार नहीं पाया गया

दिनांक : 06-06-2022 -----
नोट - 1. इस प्रमाण-पत्र के समस्त विवरण आवेदक द्वारा दिए गए संपत्ति के ब्यौरे के आधार पर दूँदे गए हैं। यदि रजिस्ट्रीकृत लेखपत्र में संपत्ति को आवेदक द्वारा आवेदन में दिये गए वर्णन से किसी दूसरे ढंग से वर्णित किया गया हो तो ऐसे लेखपत्रों से प्राप्त सूचना को प्रमाण पत्र में दर्ज नहीं किया जायेगा।
2. वांछित तलाश कार्यालय द्वारा यथासंभव सावधानी के साथ किया गया है, और विभाग प्रमाणपत्र में शामिल सूचना के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
3. इस प्रमाण-पत्र में उन लेखपत्रों से सम्बन्धित सूचना शामिल नहीं है जो प्रस्तुत हो चुके हैं, परन्तु जिनका आज की तारीख तक रजिस्ट्रीकरण नहीं हुआ है।
4. यह प्रमाण-पत्र किसी संपत्ति के स्वत्व का प्रमाण नहीं है।

तलाशकर्ता एवं प्रमाण पत्र बनाने वाले निबन्धन लिपिक: **मनोज कुमार पाण्डेय लिपिक**
मिलान करने वाले निबन्धन लिपिक: **रवि शंकर शुक्ला लिपिक**

RAVI
SHANKAR
SHUKLA
Digitally signed
by RAVI
SHANKAR
SHUKLA
Date: 2022.06.06
11:02:53 +05'30'

MANOJ
KUMAR
PANDEY
Digitally signed
by MANOJ
KUMAR PANDEY
Date: 2022.06.06
11:05:35 +05'30'

उपनिबन्धक सदर द्वितीय

KULDEEP
KUMAR
SINGH
Digitally signed
by KULDEEP
KUMAR SINGH
Date:
2022.06.06
11:06:48 +05'

IN CHARGE OF THE NAGAR MAHARAJA:

Sir,
compare from Certified copy.

Curry, Pandey
C-R-K, Pandey
Advocate,
07.06.2022

प्रेषक,

सेवा में,

जिलाधिकारी,
प्रयागराज।

प्रमुख सचिव
आवास एवं शहरी नियोजन,
अनुभाग-4, उ०प्र०शासन
लखनऊ।

पत्रांक 1358/नजूल-डी०एन०सी०-/आवंटन-2021-22 दिनांक 08-10-2021

विषय:- प्रयागराज विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित नजूल भूमि भूखण्ड संख्या 3ए लूकरगंज प्रयागराज क्षेत्रफल 1731.00 वर्गमीटर को प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु आवंटित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या 1001/आठ-4-2021-07एन/2021 आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग लखनऊ के पत्र दिनांक 01.10.2021 का शर्द्धा ग्रहण करने का कष्ट करें। शासन के उक्त पत्र द्वारा प्रकरण में की गयी पृच्छा का उत्तर निम्नवत् है:-

1-प्रश्नगत भूमि पर अंकित पट्टेदार कौन थे और इनका नाम किस आधार पर निरस्त किया गया है।

नजूल भूखण्ड संख्या 3, 3ए लूकरगंज (जी०टी०रोड) का क्षेत्रफल अभिलेखों में 03 राट 4 1/2 मोत अगवा 3148.12 वर्गमीटर का पट्टा नजूल सम्पत्ति पंजिका में गिरटर ए०एम०डेविड के पक्ष में दिनांक 03.12.1923 से दिनांक 02.12.1953 तक जिलाधिकारी इलाहाबाद की ओर से 30 वर्षों के लिये जारी किया जाना अंकित है। उक्त पट्टे का 30 वर्षीय नवीनीकरण दिनांक 03.12.1953 से दिनांक 02.12.1983 तक के लिये श्री मेजोय केयो डेविड पुत्र स्व० श्री एच०सी०डेविड के नाम किया जाना अंकित है किन्तु उसके बाद पट्टे के नवीनीकरण के सम्बन्ध में कोई तथ्य अंकित नहीं है। यदि नियमानुसार उक्त पट्टे की सम्पूर्ण अवधि 90 वर्ष भी मान ली जाय तो उक्त पट्टे की सम्पूर्ण अवधि दिनांक 03.12.1923 से 90 वर्ष अर्थात् दिनांक 02.12.2013 को समाप्त हो चुकी है। इस प्रकार पट्टे की सम्पूर्ण अवधि समाप्त होने तथा कोई नवीन पट्टा निष्पादित न होने कारण अंकित पट्टेदारों का नाम निरस्त करते हुये उसपर उ०प्र०सारकार का नाम दर्ज किया गया।

2-प्रश्नगत नजूल भूमि का क्षेत्रफल 3148.12 वर्गमीटर है तो मौके पर 1731.00 वर्गमीटर ही भूमि रिक्त क्यों है। शेष भूमि पर किसका और क्या निर्माण है।

उक्त के सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि प्रश्नगत नजूल भूमि भूखण्ड संख्या 3, 3ए लूकरगंज का क्षेत्रफल 3148.12 वर्गमीटर है। शासन द्वारा की गयी पृच्छा के क्रम में प्रकरण की पुनः संयुक्त जांच नगर निगम एवं प्रयागराज विकास प्राधिकरण से करायी गयी जिसके सम्बन्ध में यह अवगत कराया गया कि उक्त भूखण्ड में लगभग 1731 वर्गमीटर भूमि ही मौके पर रिक्त है तथा शेष क्षेत्रफल पर आवासीय निर्माण है जो विभिन्न व्यक्तियों द्वारा कराये गये हैं। रिक्त क्षेत्रफल से सम्बन्धित निरीक्षण आख्या एवं उसके साथ संलग्न नजरी नक्शा में यथावस्तु यथास्थान दर्शित किया गया है जो इस पत्र के साथ संलग्न है।

3-प्रश्नगत भूमि पर मा० न्यायालयों में कोई वाद योजित है अथवा नहीं? तथा कोई स्थगनादेश पारित तो नहीं है।

प्रश्नगत भूमि के सम्बन्ध में किसी भी न्यायालय में वाद योजित होने की जानकारी अभी तक प्राप्त नहीं है।

4-प्रश्नगत भूमि से सम्बन्धित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराया जाय।

प्रश्नगत भूमि से सम्बन्धित नजूल सम्पत्ति पंजिका की छाया प्रति, गू-चित्र एवं नगर निगम से प्राप्त नजरी नक्शा संलग्न है।

5-प्रश्नगत भूमि का प्रभावी महायोजना में गू-उपयोग क्या है।

प्रयागराज विकास प्राधिकरण द्वारा अपने पत्र संख्या 263/सचिव/मू०अ०/टी०पी०/वि०प्रा०/2021 दिनांक 04.10.2021 के द्वारा यह अवगत कराया गया है कि प्रश्नगत नजूल भूखण्ड प्रचलित महायोजना -2021 में गू-उपयोग आवासीय (मध्यम घनत्व) है।

6-प्रस्तावित स्थल को प्रदर्शित करते हुये रंगीन मानचित्र भी उपलब्ध कराया जाय।

प्रयागराज विकास प्राधिकरण, प्रयागराज द्वारा प्रेषित रंगीन मानचित्र संलग्न है।

अतः उपरोक्तानुसार शासन द्वारा वांछित सूचना इस पत्र के साथ संलग्न करते हुये महोदय की सेवा में सादर सम्प्रेषित है।

भवदीय

(संजय कुमार खत्री)
जिलाधिकारी, प्रयागराज।

संख्या/ /तद दिनांक।
प्रतिलिपि:-उपाध्याय, प्रयागराज विकास प्राधिकरण प्रयागराज को सूचनार्थ।

(संजय कुमार खत्री)
जिलाधिकारी, प्रयागराज।

दीपक कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
प्रयागराज।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-4

विषय:

नजूल भूखण्ड संख्या-3ए, लूकरगंज प्रयागराज क्षेत्रफल 1731.00 वर्गमीटर को प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत आवासों के निर्माण हेतु प्रयागराज विकास प्राधिकरण के पक्ष में निःशुल्क आवंटन/हस्तान्तरण के सम्बन्ध में।

गहोदश,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1342/नजूल-2021-22 दिनांक 28.09.2021 एवं पत्र संख्या-1358/नजूल-डी.एन.सी./आवंटन-2021-22 दिनांक 08.10.2021 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के धटक अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप के अन्तर्गत दुबल आय वर्ग के नवनों के निर्माण हेतु निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराये जाने हेतु दिशा-निर्देश विषयक आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-1/2018/1131/आट-1-17-08 दिनांक 11.07.2018 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक विचारोपरान्त वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-ए-2-75/दस-77-1-4(2)/74 दिनांक 03.02.1977 के प्राविधानों को शिथिल करते हुए अपवाद स्वरूप नजूल भूखण्ड संख्या-3ए, लूकरगंज, प्रयागराज क्षेत्रफल 1731.00 वर्गमीटर को प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत आवासों के निर्माण हेतु प्रयागराज विकास प्राधिकरण, प्रयागराज के पक्ष में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निःशुल्क आवंटन/हस्तान्तरण किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (1) उक्त आवंटित/हस्तान्तरित नजूल भूमि पर कोई धार्मिक अथवा ऐतिहासिक महत्व की इमारत न हो।
- (2) उक्त आवंटित/हस्तान्तरित नजूल भूमि यदि निर्धारित प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग की जाती है, तो आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन से पुनः अनुमति प्राप्त किया जायेगा।
- (3) आवंटित/हस्तान्तरित नजूल भूमि तीन वर्षों तक निर्धारित प्रयोजन के लिए उपयोग में नहीं लाया जाता है, तो उसे आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को वापस करना होगा।
- (4) नजूल भूमि के उपरोक्त आवंटन/हस्तान्तरण को भविष्य में दुरुस्त नहीं माना जायेगा।

भवदीय,
(दीपक कुमार)
प्रमुख सचिव।

